प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1022 सन 2021

अनवान :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन नौरगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. श्रवण कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन नौरगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र जयसिह जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र जयसिह जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 302/303 की कुल 11.154हैक के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा रोही मोजा देईदास के खाता संख्या 4/3 की कुल 5.0210हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से सयुक्त खाते में दर्ज हो उनके पूर्वजा से प्राप्त हुई है वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने काश्त एव सिचाई सुविधा एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा में रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 302/303 की भूमि प्रतिवीद संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये यह भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है एवं रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 4/3 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को प्राप्त हुई थी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसमे वादी ने खाता संख्या 302/303 में अपने हकों का त्याग किया हुआ है इस खाते की भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी

सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें खाता संख्या 302/303 में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हकों को त्याग किया हुआ है इस खाते की भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की खाता संख्या 302/303 की भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है।

सयुक्त खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा एव बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 302/303 की कुल 11.154हैक भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मोजा देईदास के खाता संख्या 4/3 की कुल 5.0210हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... मेधाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन नौरगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. श्रवण कुमार पुत्र गोपीराम जाति जाट साकिन नौरगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र जयसिह जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र जयसिह जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1022 सन 2021 निर्णय दिनांक–03.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 302/303 की कुल 11.154हैक भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मोजा देईदास के खाता संख्या 4/3 की कुल 5.0210हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...मेधाना

उपखण्ड अधिकारी
नोहर